निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश

पत्रांकः C-461/बा0वि0परि0/पो0 एवं स्वा0/2023–24 दिनांकः 18 सितम्बर, 2023

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः छाया एकीकृत ग्राम, शहरी स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस (सी.आई.वी.एच.एस.एन.डी.) पर आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा मातृ बाल पोषण परामर्श कार्नर बनाए जाने के संबंध में।

कृपया निदेशालय के पत्र सं0–1420/बा0वि0परि0/पो0एवं स्वा0/2021–22, दिनांक 02 मार्च, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से समस्त जनपदों को छाया एकीकृत ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता व पोषण दिवस के सुदृढीकरण में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा आवश्यक समन्वय एवं सहयोग हेतु दिशा–निर्देश प्रेषित किए गए थे। समुदाय में छाया एकीकृत ग्राम, शहरी स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस (सी.आई.वी.एच.एस.एन.डी.) का आयोजन ए.एन.एम., आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के परस्पर समन्वय से किया जाता है। सी.आई.वी.एच.एस.एन.डी. सत्रों पर सुनियोजित सुव्यवस्थित एवं लाभार्थी केन्द्रित पोषण एवं परामर्श सेवाओं को प्रदान करने हेतु बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के माध्यम से "मातृ बाल पोषण परामर्श कार्नर" बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। जहां लक्षित लाभार्थियों (गर्भवती महिलाएं, धात्री एवं 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों) को पोषण संबंधी सेवाएँ एक निश्चित स्थान पर उपलब्ध हो पाएगी साथ ही आवश्यकतानुसार ए.एन.एम. द्वारा जांच, स्क्रीनिंग एवं रेफरल किया जा सकेगा।

उपरोक्त के संबंध में छाया एकीकृत ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस के आयोजन हेतु चिकित्सा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1189(।)/पाँच–9–22–9 (127)/12, दिनांक 03 फरवरी, 2023 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। प्रत्येक छाया एकीकृत ग्राम/शहरी स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस सत्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा मातृ बाल पोषण परामर्श कार्नर बनाए जाने एवं लाभार्थी केन्द्रित सुनियोजित पोषण सेवाएँ प्रदान करने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश पत्र के साथ संलग्न हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक सी.आई.वी.एच.एस.एन.डी. सत्रों पर मातृ एवं बाल पोषण कार्नर बनवाने हेतु पत्र के साथ संलग्न दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक– यथोक्त।

(सरनीत कौर ब्रोका)
निदेशक

संख्याः /तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 शासन।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0।
4. निदेशक, राज्य पोषण मिशन, उ0प्र0।
5. अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई (यू0पी0टी0एस0यू0), उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8. कार्यालय प्रति।

(सरनीत कौर ब्रोका)
निदेशक

Scanned with CamScanner

निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश

पत्रांकः /बा0वि0परि0/पो0 एवं स्वा0/2023–24 दिनांकः 18 सितम्बर, 2023

समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः छाया एकीकृत ग्राम, शहरी स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस (सी.आई.वी.एच.एस.एन.डी.) पर आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा मातृ बाल पोषण परामर्श कार्नर बनाए जाने के संबंध में।

कृपया निदेशालय के पत्र सं0–1420/बा0वि0परि0/पो0एवं स्वा0/2021–22, दिनांक 02 मार्च, 2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से समस्त जनपदों को छाया एकीकृत ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता व पोषण दिवस के सुदृढीकरण में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा आवश्यक समन्वय एवं सहयोग हेतु दिशा–निर्देश प्रेषित किए गए थे। समुदाय में छाया एकीकृत ग्राम, शहरी स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस (सी.आई.वी.एच.एस.एन.डी.) का आयोजन ए.एन.एम., आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के परस्पर समन्वय से किया जाता है। सी.आई.वी.एच.एस.एन.डी. सत्रों पर सुनियोजित सुव्यवस्थित एवं लाभार्थी केन्द्रित पोषण एवं परामर्श सेवाओं को प्रदान करने हेतु बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के माध्यम से "मातृ बाल पोषण परामर्श कार्नर" बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। जहां लक्षित लाभार्थियों (गर्भवती महिलाएं, धात्री एवं 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों) को पोषण संबंधी सेवाएँ एक निश्चित स्थान पर उपलब्ध हो पाएगी साथ ही आवश्यकतानुसार ए.एन.एम. द्वारा जांच, स्क्रीनिंग एवं रेफरल किया जा सकेगा।

उपरोक्त के संबंध में छाया एकीकृत ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस के आयोजन हेतु चिकित्सा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1189(I)/पाँच–9–22–9 (127)/12, दिनांक 03 फरवरी, 2023 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। प्रत्येक छाया एकीकृत ग्राम/शहरी स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस सत्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा मातृ बाल पोषण परामर्श कार्नर बनाए जाने एवं लाभार्थी केन्द्रित सुनियोजित पोषण सेवाएँ प्रदान करने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश पत्र के साथ संलग्न हैं।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक सी.आई.वी.एच.एस.एन.डी. सत्रों पर मातृ एवं बाल पोषण कार्नर बनवाने हेतु पत्र के साथ संलग्न दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक– यथोक्त।

(सरनीत कौर ब्रोका)
निदेशक

संख्याः C-461 /तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 शासन।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0।
4. निदेशक, राज्य पोषण मिशन, उ0प्र0।
5. अधिशासी निदेशक, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई (यू0पी0टी0एस0यू0), उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8. कार्यालय प्रति।

(सरनीत कौर ब्रोका)
निदेशक

15/9/2023

Scanned with CamScanner

संलग्नक-1

सीआईवीएचएसएनडी सत्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा मातृ बाल पोषण परामर्श कार्नर बनाए जाने हेतु निर्देश

मातृ एवं बाल पोषण परामर्श कार्नर का उद्देश्य -

- सुनियोजित एवं लाभार्थी केन्द्रित पोषण परामर्श प्रदान करना
- वृद्धि निगरानी (वजन एवं उचाई की माप) करते हुये कुपोषण की पहचान करना, आवश्यकतानुसार परामर्श देना एवं एएनएम द्वारा जांच स्क्रीनिंग एवं रेफरल सुनिश्चित करवाना
- आहार में विविधता को प्रोत्साहित करने हेतु एवं स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन करते हुये लक्षित लाभार्थियों को मातृ एवं बाल पोषण व्यवहारों के बारें में परामर्श देना।

मातृ एवं बाल पोषण परामर्श कार्नर को सुदृढ़ करने हेतु की जाने वाली मुख्य कार्यवाही –

अ. प्रशिक्षण/ अभिमुखीकरण करना –

- जनपद स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं मुख्य सेविकाओं को उक्त के संबंध में प्रशिक्षित किया जाए
- सेक्टर बैठक के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों का मातृ एवं बाल पोषण परामर्श कार्नर पर बनाने हेतु अभिमुखीकरण किया जाए

ब . मातृ एवं बाल पोषण परामर्श कार्नर हेतु सत्र पर समुचित स्थान की व्यवस्था -

- प्रत्येक उपकेंद्र, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर,सरकारी या निजी भवन, पंचायत भवन एवं आंगनवाड़ी केंद्र जहां भी सीआईवीएचएसएनडी सत्र का आयोजन किया जा रहा है वहाँ पर मातृ एवं बाल पोषण परामर्श कार्नर बनाया जाए।
- सीआईवीएचएसएनडी सत्र पर मातृ एवं बाल पोषण परामर्श कार्नर ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा खाद्य समूहों का प्रदर्शन इस प्रकार से हो की लाभार्थी आसानी से देख सके एवं परामर्श हेतु बैठने की समुचित व्यवस्था हो ।
- लाभार्थियों के परामर्श हेतु बैठने का स्थान, चटाई/ दरी आदि की व्यवस्था, साफ पेयजल और स्वच्छ शौचालय सुविधा की उपलब्धता हो ।
- प्राथमिकता के तौर पर कमरे के कोने वाला स्थान, जहां परामर्श सामग्री/ खाद्य समूहों का प्रदर्शन किया जा सके एवं वृद्धि निगरानी उपकरणो (वजन मशीन, इंफेंटोमीटर एवं स्टडीओमेटर) को लगाया जा सके एवं आंगनवाड़ी द्वारा लाभार्थियों का वजन एवं उचाई लिया जा सके

स. मातृ एवं बाल पोषण परामर्श कार्नर पर आवश्यक सेवाओ की प्रदायगी

- आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा पोषण परामर्श कॉर्नर पर 10 खाद्य समूहो का प्रदर्शन करके लाभार्थी केन्द्रित परामर्श दिया जाए
- पोषण परामर्श कॉर्नर पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थो को प्रदर्शित करते हुये लाभार्थियो को दैनिक आहार में सम्मिलित करने हेतु प्रेरित करें
- लाभार्थियों को परामर्श देते समय भोजन की बारंबारता एवं मात्रा के बारें में जानकारी दी जाए । इस हेतु पत्र के साथ संलग्न संदर्भ सामग्री का उपयोग किया जा सकता है ।
- गर्भवती महिलाओ की वजन वृद्धि की निगरानी (वेट ट्रैकिंग) एवं रजिस्टर में अपडेट किया जाए एवं लिए गए वजन की स्थिति के अनुसार महिला को परामर्श दिया जाए।
- 6 वर्ष तक के बच्चों का वजन व लंबाई/ ऊंचाई लेना और वृद्धि निगरानी के बारें में अभिभावकों को परामर्श दिया जाए।
- अति कुपोषित बच्चों की पहचान कर ए.एन.एम. द्वारा स्क्रीनिंग एवं एन.आर.सी. पर संदर्भित करना।
- 10 खाद्य समूहो का स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन एवं लक्षित लाभार्थियों को लाभार्थी केन्द्रित परामर्श देना
- सीआईवीएचएनएसडी सत्रो पर मातृ एवं शिशु पोषण परामर्श हेतु फ़्लेक्स राज्य स्तर से बनाया गया है जिसका प्रोटोटाइप सभी जनपदो से साझा किया जाएगा। जिसका मुद्रण करवाकर लाभार्थियों को परामर्श देने में उपयोग किया जाना है। (संलग्नक 3)

Scanned with CamScanner

- **पोषण परामर्श कॉर्नर का रेखांकित प्रदर्शन :**

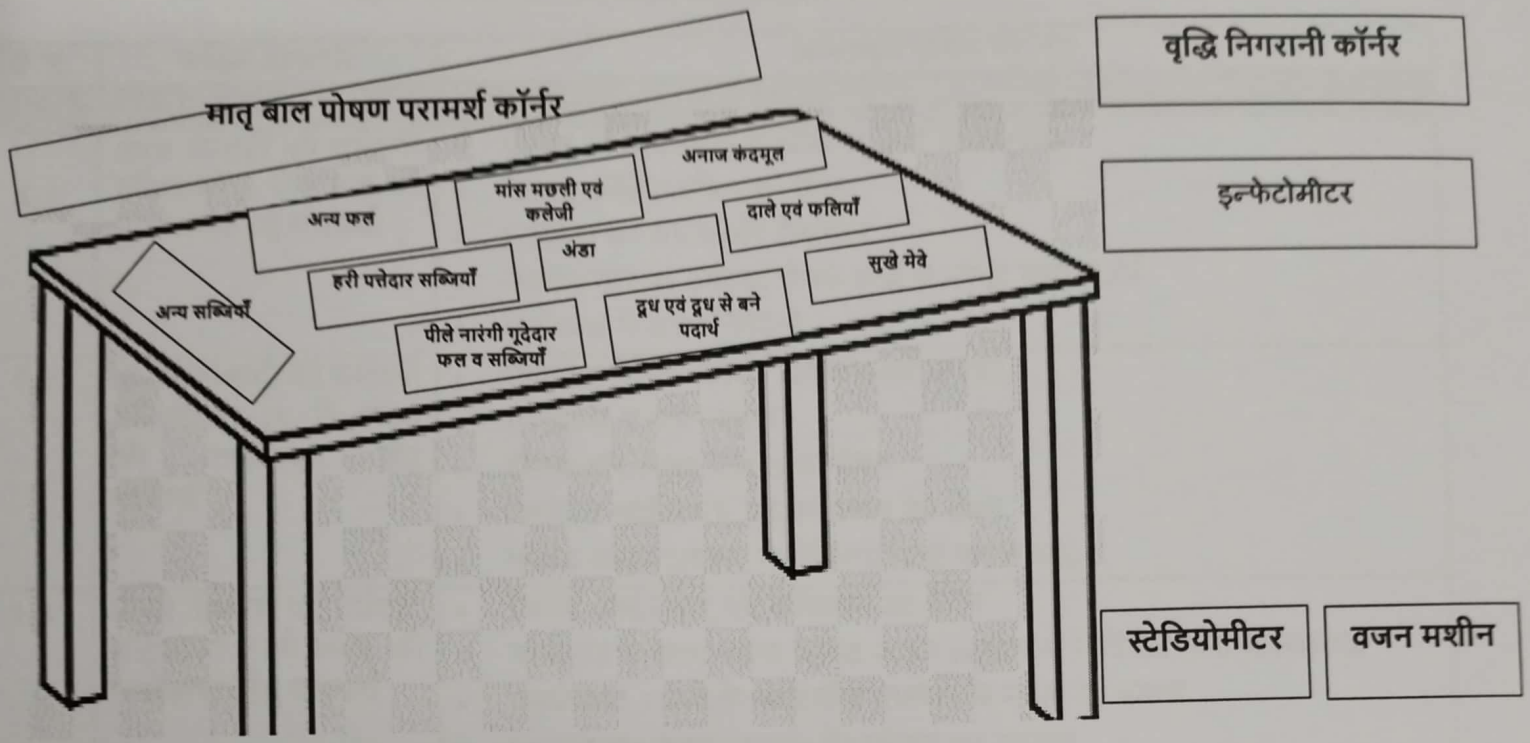

हैंडहोल्डिंग एवं मेंटरिंग करना -

- बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा मुख्य सेविका द्वारा सी.आई.वी.एच.एस.एन.डी. सत्र पर मातृ बाल पोषण परामर्श कॉर्नर को बनाने एवं लाभार्थी केन्द्रित परामर्श हेतु आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को क्षेत्र भ्रमण के दौरान मेंटरिंग और हैंडहोल्डिंग सहयोग प्रदान किया जाए ।
- मातृ एवं बाल पोषण से संबन्धित सूचना, शिक्षा व प्रचार सामग्री/ बैनर/ परामर्श सामग्री को पोषण कार्नर पर बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने व उसका उपयोग परामर्श हेतु करने में आंगनवाड़ी कार्यकत्री को मार्गदर्शन व सहयोग प्रदान किया जाए।
- सी.डी.पी.ओ. तथा मुख्य सेविकाओं द्वारा सी.आई.वी.एच.एस.एन.डी. सत्रों पर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण और पोषण कॉर्नर की स्थिति की जनपद व परियोजना स्तर पर समीक्षा की जाए ।

Scanned with CamScanner

संलग्नक–2

लक्षित लाभार्थियों को दिया जाने वाला आवश्यक पोषण परामर्श

क्र सं.	लक्षित लाभार्थी	आवश्यक पोषण परामर्श
	1. गर्भवती महिलाएं	
1.1	प्रथम तिमाही की गर्भवती महिलाओं (1 से 3 माह की गर्भावस्था) हेतु परामर्श	• पर्याप्त आहार (आहार मे विविधता मात्रा बारम्बारता) • टैबलेट फॉलिक एसिड का सेवन • एनीमिया का कारण और रोकथाम • स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ • गर्भावस्था मे वजन निगरानी
1.2	द्वितीय तिमाही की गर्भवती महिलाओं (4 से 6माह की गर्भावस्था) हेतु परामर्श	• मातृत्व एनीमिया- कारण रोकथाम एवं उपचार • गर्भावस्था मे वजन बढ़ना • टी.एच.आर. (सूखा राशन) का सेवन • टैबलेट्स आई.एफ.ए. एवं कैल्सियम का सेवन • पर्याप्त आहार (आहार मे विविधता मात्रा बारम्बारता)
1.3	तीसरे तिमाही की गर्भवती महिलाओं (7से 9माह की गर्भावस्था) हेतु परामर्श	• टैबलेट आई.एफ.ए. एवं कैल्सियम का सेवन • गर्भावस्था मे वजन बढ़ना पर्याप्त आहार (आहार मे विविधता मात्रा बारम्बारता) • प्रसवपश्चात 1 घण्टे के अंदर शीघ्र स्तनपान के महत्व को बताना • 06 माह तक केवल स्तनपान हेतु परिवार का सहयोग • 06 माह तक बच्चे को केवल स्तनपान के लिए कामकाजी माताओं को विशेष परामर्श • टी.एच.आर. (सूखा राशन) का सेवन
	2. जन्म से 6 माह तक के बच्चे एवं साथ मे आने वाले उनके माता-पिता/अभिभावकों तथा धात्री माताओं हेतु परामर्श	
2.1	0 से 29दिन के नवजात बच्चे एवं साथ मे आने वाले उनके माता-पिता/ अभिभावकों तथा धात्री माताओं हेतु परामर्श	**माँ हेतु :** • 6 माह तक केवल स्तनपान का महत्व • स्तनपान में सही स्थिति एवं जुड़ाव के संबंध में परामर्श। • पर्याप्त आहार (आहार मे विविधता मात्रा बारम्बारता) • टैबलेट आई.एफ.ए. एवं कैल्सियम का सेवन • टी.एच.आर./आंगनवाडी केन्द्र से प्राप्त सूखे राशन का सेवन • स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का महत्व
2.2	1 से 3 माह के बच्चे एवं साथ मे आने वाले उनके माता-पिता/अभिभावकों तथा धात्री माताओं हेतु परामर्श	**माँहेतु :** • पर्याप्त आहार (आहार मे विविधता मात्रा बारम्बारता) • टैबलेट आई.एफ.ए. एवं कैल्सियम का सेवन • टी.एच.आर. (सूखाराशन) का सेवन • स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का महत्व • 6 माह तक केवल स्तनपान को बढ़ावा देना एवं परिवार को सहयोग • कामकाजी माताओं को केवल स्तनपान के लिए विशेष परामर्श • वृद्धि निगरानी • मध्यम कुपोषित(MAM) का समुदाय आधारित प्रबंधन
2.3	4 से 6 माह के बच्चे एवं साथ मे आने वाले उनके माता-पिता/अभिभावकों तथा धात्री माताओं हेतु परामर्श	• 6 माह पर स्तनपान के साथ पूरक आहार की शुरूआत (अन्नप्रासन्न) • 6 माह तक केवल स्तनपान हेतु परिवार का सहयोग • 6 माह तक बच्चे को केवल स्तनपान के लिए कामकाजी माताओं को विशेष परामर्श • 6 माह बाद पूरकआहार की शुरुआत • पर्याप्त आहार (आहार मे विविधताए मात्राए बारम्बारता) • टी.एच.आर/सूखा राशन. का सेवन • छः माह बाद बच्चे को आई एफ ए सिरप का सम्पूरण (प्रति सप्ताह दो बार) • 9 माह पर एम0आर0 टीके के साथ विटामिन ए की पहली खुराक

Scanned with CamScanner

संलग्नक-3

मातृ एवं शिशु पोषण परामर्श कॉर्नर

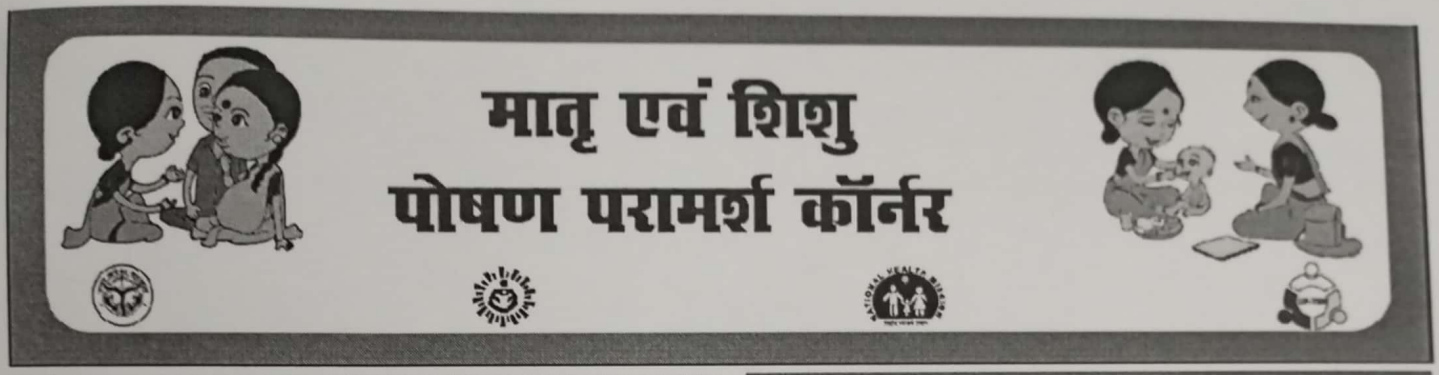

Scanned with CamScanner